



डा० नीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सं.स. में,
सचिव, प्राचार्य/प्राचार्या,
सर्वोदय महाविद्यालय
चांगुहा मथुरा

पत्रांक : एफिल/ 207 /2007
दिनांक : 12-2-2007

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई०स०-2782/जी०ए०-दिनांक-19-01-2007 द्वारा सूचित किया गया है कि महानहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्तपोषित चांगुहान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि संकामान्तर्गत सर्वोदय महाविद्यालय, चांगुहा, मथुरा को वी०एस०सी०, (एग्रीकल्चर) पाठ्यक्रम में दिनांक 01-07-2006 में उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन एक सन्ध्या के साथ सन्ध्या की सहमति स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

कुलाधिपति सचिवालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम में सन्ध्या इन प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रत्येक कुलाधिपति सचिवालय के उक्त पत्र दिनांक 19-01-2007 में उल्लिखित शर्तों को निर्धारित अवधि तक पूर्ण कर लेगा।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(32) 12002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित विशा निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निरति शासनादेशों का पालन करेगी।

2- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की पारैनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सन्ध्या वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।